

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 364/2022

सरकार बनाम आबिद।

अं० धारा- 302, 377 भा०दं०सं०

व 5M/6 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 225/2021

थाना- धौलाना, जिला- हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांक:- 24.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त आबिद जेरे हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त आबिद के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 302, 377 व पोक्सो अधिनियम की धारा 5M/6 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त आबिद के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दिनांक 23.06.2022 को पेश हो।

दिनांक:- 24.05.2022

(श्वेता दीक्षित)

J.O. Code- UP01645

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 364/2022

सरकार बनाम आबिद।

अं० धारा- 302, 377 भा०दं०सं०

व 5M/6 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 225/2021

थाना- धौलाना, जिला- हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त आबिद को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूँ-

प्रथम- यह कि दिनांक 31.05.2021 को समय अज्ञात, बस्थान ग्राम सालेपुर कोटला कब्रिस्तान, आरिफ का खेत, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के अवयस्क पुत्र ए० कुमार उम्र करीब 9 वर्ष के साथ अप्राकृतिक संभोग किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के अवयस्क पुत्र ए० कुमार उम्र करीब 9 वर्ष के साथ अप्राकृतिक संभोग करने के पश्चात उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के अवयस्क पुत्र ए० कुमार उम्र करीब 9 वर्ष के ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5M/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक:- 24.05.2022

(श्वेता दीक्षित)

J.O. Code- UP01645

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 24.05.2022

(श्वेता दीक्षित)

J.O. Code- UP01645

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।